न्यायालय, जिला दंडाधिकारी, सीवान

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा

नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना की अधिसूचना संख्या-2731/न0वि0आ0वि0, पटना दिनांक-09.09.2022 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की घोषणा कर दी गई है। सीवान जिलान्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 का मतदान दो चरणों में यथा- दिनांक-10.10.2022 एवं 20.10.2022 को होगा। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 की घोषणा के साथ ही नगरपालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। नामांकन के बाद विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इस अवधि में विभिन्न प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा/जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जन सभा एवं जुलूस से विभिन्न प्रत्याशियों के बीच प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए आवांछित/असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है, एवं लोक शांति भंग हो सकती है।

अतः उपर्युक्त पृष्टभूमि में मैं, **अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0, जिला दंडाधिकारी, सीवान** संतुष्ट हो कर शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज **दिनांक-09.09.2022** से चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक (जो भी पहले हो) **भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144** में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीवान जिला के अन्तर्गत सभी नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रों में यह निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ :-

1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनीविस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी के पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

2. किसी उम्मीदवार के द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जाएगा तथा इसमें कोई परिवर्त्तन नहीं किया जाएगा। जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके जुलूस या रैलियों में ऐसी चीजे लेकर न चले जिनको लेकर चलना प्रतिबंधित हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सके।

4. The Bihar Control of the use and play of Loudspeaker Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनिविस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा। ध्वनिविस्तारक यंत्र/हेन्ड माईक से प्रचार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के अपराह्न 05:00 बजे से 48 घंटे पूर्व तक ही किया जाएगा।

5. बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनिविस्तारक यंत्र/हेन्ड माईक का उपयोग किए जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उससे ऊपर का पुलिस पदाधिकारी उसे जप्त कर सकता है। इसका उल्लंघन किए जाने पर ध्वनिविस्तारक उपयोग एवं बादन नियंत्रण अधिनियम, 1955 की धारा-09 के तहत् कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

6. निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, ना ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित रहेगा।

7. कोई भी आग्नेयास्त्र, तीर–धनुष, लाठी, भाला, गंड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। परन्तु–

(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि–व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

(ख) यह आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।

9. बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराब बन्दी लागू की गई है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और ना ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाएगा।

10. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा कोई भी व्यक्ति या संगठन व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकायेंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा।

11. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा किसी धार्मिक स्थल/सरकारी भवन/उपक्रम का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं करेंगें एवं धार्मिक आयोजन से साम्प्रदायिक भावना को चुनावी हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़कायेंगे।

12. प्रचार हेतु किए जाने वाले नुक्कड सभा की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को देंगे। नुक्कड सभा हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा मतदाताओं को डराने–धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं किया जाएगा।

14. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल/संगठन आदि के द्वारा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग, पटना के द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जाएगा।

15. चूँकि वर्त्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार कार्य नहीं करेंगे।

16. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी भूमि, भवनों, चहारदीवारी, वाहनों आदि पर चुनाव संबंधी झण्डा/पोस्टर नहीं लगायेंगे। किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्त्ताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर या झण्डा लगाकर किसी निजी, सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है। किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार/चुनाव बैठक करने की अनुमति नहीं होगी।

17. नाम–निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले व्यक्ति की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।

18. नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 हेतु आयोग के निदेशानुसार चुनाव प्रचार की अवधि में नगर निकाय के पार्षदों/उप मुख्य पार्षदों/मुख्य पार्षदों के पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु निम्न मोटरवाहन मान्य है :–

नगर निकाय का नाम	पदनाम	अनुमान्य वाहन
नगर पंचायत	पार्षद्	दो यांत्रिक दोपहिया/तिनपहियॉ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन

	उप मुख्य पार्षद्	चार यांत्रिक दोपहिया/तिनपहियॉ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन
	मुख्य पार्षद्	चार यांत्रिक दोपहिया/तिनपहियॉ वाहन अथवा दो हल्का मोटर वाहन
नगर परिषद्	पार्षद्	दो यांत्रिक दोपहिया/तिनपहियॉ वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन
	उप मुख्य पार्षद्	आठ यांत्रिक दोपहिया/तिनपहियॉ वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन
	मुख्य पार्षद्	आठ यांत्रिक दोपहिया/तिनपहियॉ वाहन अथवा चार हल्का मोटर वाहन

19. वाहन हेतु परमिट/अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्त्ता द्वारा वाहन के विन्ड स्क्रीन पर चिपकायी जाएगी। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्त्ता के द्वारा अन्य किसी प्रकार के वाहन का परिचालन वर्जित होगा।

20. उम्मीदवारों द्वारा ऐसे सभी कार्यों से परहेज़ किया जाएगा जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत अपराध हो जैसे कि :–

(1) ऐसे कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो

(2) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसा कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो, या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो

(3) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना

(4) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना

(5) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार के चुनाव प्रचार करना या वोट माँगना

(6) मतदाताओं को मतदान केन्द्र लाने एवं ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना

(7) मतदान/मतगणना केन्द्र में या उसके आस–पास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्यों में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना

(8) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात् अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना।

21. कोई भी व्यक्ति या संगठन, इस प्रकार का कोई कार्य/आयोजन नहीं करेंगे जो The Epidemic Diseases Act, 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों द्वारा कोविड–19 के संक्रमण को रोकने के लिए जारी दिशानिर्देशों के विरूद्ध हो।

22. कोविड–19 के संबंध में राज्य सरकार तथा जिला स्तर पर समय–समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का सभी उम्मीदवारों, उनके समर्थकों तथा निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन अनिवार्य होगा। कोविड–19 से संबंधित दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा अधिनियम, 2005 की धारा–51 से 60 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा–188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर से आज दिनांक 09.09.2022 के अपराह्न से जारी किया गया।

ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,
सीवान

ज्ञापांक–2794/विधि, सीवान, दिनांक– 09.09.2022

प्रतिलिपि :– राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण, छपरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सीवान/उप विकास आयुक्त, सीवान/सभी निर्वाची पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान सदर एवं महाराजगंज/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सीवान सदर एवं महाराजगंज/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सीवान सदर एवं महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सीवान को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष, सीवान जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.9.22

जिला दण्डाधिकारी,
सीवान

जिला दण्डाधिकारी
सिवान